विचार बिन्दु

धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी, आपति काल परखिये चारी। –तुलसीदास

अपनेपन में अपने होने की जगह

तुलसी और सनातन के आलोक में समकालीन जीवन तथा मानवीय मूल्यों पर हमारी साप्ताहिक अतिथि विचार-शृंखला 'तुलसी बब्बा कह गए हैं' का यह आठवाँ आलेख है। पुरी में श्रीजगन्नाथ के दर्शन के बाद हम कोणार्क की ओर निकले। समुद्र और सडक के बीच बालुखंड-कोणार्क का तटीय वन था। कहीं पेड़ों के पीछे जल छिप जाता, कहीं खुली जगह से उसका उजाला झाँकता।

वन के भीतर रुके तो रेत पर पत्तियों के बीच छोटे टूटे फल पड़े थे। उन्हें उलटते-पलटते मैंने एक पत्ती उठा ली। पुष्पा कुछ देर समुद्र का स्वर सुनती रहीं, फिर बोलीं, तुमें एक पत्ती मिल जाए तौ पूरी सभा बैठ जात है। हम सोच रए ते कि दो घड़ी चुपचाप बैठें।

मैंने पत्ती रख दी। सभा स्थगित।

स्थगित काए? तुम देखो, हम सुनें। हर बात दोई खों एकई सी नोनी लगे, तबई संग अच्छो कहाय का?

उनकी सहज बात ने प्रेम के भीतर की एक कठिनाई खोल दी। बरसों साथ रहने पर भी दूसरे की रुचि हमारी रुचि की प्रतिलिपि नहीं बनती। फिर भी आत्मीयता के नाम पर हम इतनी समानता चाहने लगते हैं कि अलग पसंद उपेक्षा लगने लगती है। यही इस कड़ी का प्रश्न है: आत्मीयता में दूसरे का स्वतंत्र व्यक्तित्व कैसे बचे?

मैंने कहा, शुरू में भिन्नता खींचती है। बाद में उसी को सुधारने का काम शुरू हो जाता है। दूसरे के मित्र, उसकी बातचीत, पढ़ने का समय, अकेले रहने की इच्छा, सब हमारे स्नेह की कचहरी में खड़े कर दिए जाते हैं। तब प्रेम प्रिय को देखना छोड़कर उसे अपने साँचे में ढालने लगता है।

पुष्पा ने तुरंत पकड़ा, पै सबई अपनी-अपनी करें, तौ संग को अरथ का बचो?

दाम्पत्य में तो पुष्पा का यह प्रश्न रोज़ के काम तक पहुँचता है। एक अपने मन का काम करने बैठा तो उस घड़ी घर का काम किसके हिस्से आया? किसी की स्वतंत्रता का खर्च चुपचाप दूसरा उठाए, तो वह बराबरी का संबंध नहीं। प्रश्न यह है कि साझा जीवन में निजी व्यक्तित्व कैसे खिले: जगह माँगने वाला अपनी जिम्मेदारी से न भागे, और निकटता चाहने वाला हर अंतर को अस्वीकार न समझे।

ऋग्वेद के विवाहसूक्त में हृदयों के मेल की प्रार्थना है:-

समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ।
सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ॥
ऋग्वेद 10.85.47।

विश्वेदेव, जल, वायु और धाता से प्रार्थना है कि दोनों के हृदय एक-दूसरे से मिलें। यहाँ माँगा गया है हृदयों का मेल, पसंदों की एकरूपता नहीं। सच्चा मेल वह भी है जिसमें तुम्हारी बात मुझे पूरी समझ न आए, फिर भी तुम्हारे लिए उसका महत्त्व मैं मान सकूँ।

समुद्र की ओर से हवा आई। नीचे की झाड़ियों और ऊपर के वृक्षों पर उसका असर अलग था। इस तट पर सीधी कतारों में लगाए गए पेड़ भी हैं और बीच-बीच में बची देशज वनस्पति भी। अलग ऊँचाई, अलग जड़ें और अलग ऋतु में फूलने-फलने वाली प्रजातियाँ मिलकर रेत बाँधती हैं, पक्षियों को ठौर देती हैं, हवा का वेग तोड़ती हैं। जहाँ प्रकृति की विविधता बची हो, उसे साफ कतारों में बदल देना हर बार सुधार नहीं होता।

अब प्रेम में सोई बानिकी पढ़ाहौ? पुष्पा हँसीं।

वन तुम्हारे प्रश्न का प्रमाण नहीं, मैंने कहा। मनुष्य का संबंध उसकी इच्छा और उत्तरदायित्व से बनता है। पर वन को अपनी पसंद की शक्ल देने की उतावली और प्रियजन को अपने स्वभाव में ढालने की उतावली में एक आदत साझा है: दूसरे का अपना रूप हमें पर्याप्त नहीं लगता।

तुलसी की सीता केवल साथ चलने वाली मौन छाया नहीं हैं। वनगमन के समय राम उन्हें वन की कठिनाइयाँ गिनाते हैं और घर रहने को कहते हैं। सीता अपना पक्ष रखती हैं, और उनका प्रश्न जितना तीखा है, उतना ही आत्मीय:-

को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा। सिंघबधुहि जिमि ससक सिआरा॥
मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू। तुम्हहि उचित तप मो कहुँ भोगू॥
रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, दोहा 66-67 के बीच, चौपाई 4।

प्रभु के साथ रहते मुझे कौन टेढ़ी आँख से देखेगा, जैसे सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते? मैं सुकुमारी और आप वन के योग्य; आपके लिए तप और मेरे लिए भोग, यह कैसे उचित? सीता अपने सामर्थ्य और सहभागिता का दावा करती हैं। उनके प्रेम में तर्क है, संकल्प है, अपनी ओर से चुना हुआ साथ है। इसे हर स्त्री के लिए कष्ट सहने का आदेश बना देना उनकी आवाज खो देना होगा।

डर को पहचानेंगे, उसका उपहास नहीं करेंगे। पर डर होने से निगरानी उचित नहीं हो जाती। हर संदेश का हिसाब, हर मित्र पर संदेह और हर मौन की पूछताछ भरोसा नहीं बढ़ाती। अपनी आशंका कहना और सामने वाले को संदिग्ध बनाकर जीना दो अलग बातें हैं।

पुष्पा बोलीं, सीताजू की बात में संग चलबे की साध सोई है औ अपनी कहबे को बल सोई। दोई संगै रहें, तबई बात बनत है।

मैंने कहा, किसी की ओर से तय कर देना कि तुम नाजुक हो, तुमसे नहीं होगा, कई बार कोमल भाषा में कहा गया अविश्वास होता है। वास्तविक कठिनाई बताना जरूरी है, पर उसका उत्तर वही दे जिसके जीवन पर निर्णय पड़ेगा।

औ जो कोऊ संग न जाबो चाहे?

तो उसकी बात भी उतनी ही सुनी जाए। सीता के चुने हुए साथ का सम्मान तभी पूरा है, जब चुनने की क्षमता का सम्मान हो।

बात अब रुचि के भेद से आगे, प्रेम के आधार तक पहुँची। बृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं:-

न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति।
न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति।
बृहदारण्यक उपनिषद् 2.4.5।

संवाद का आशय आत्मा के ज्ञान की ओर ले जाना है। इसे इतना भर समझना कि पति-पत्नी स्वार्थ के लिए एक-दूसरे को चाहते हैं, अर्थ को छोटा करना होगा। उपनिषद् प्रियता का मूल आत्मतत्त्व में खोजता है। हमारे लिए इससे एक कठिन प्रश्न निकलता है: क्या मैं सामने वाले को अपनी सुविधा, प्रतिष्ठा या अकेलापन मिटाने का साधन भर मान बैठा हूँ? उसकी अपनी चेतना और आकांक्षा का मेरे प्रेम में कितना स्थान है?

पुष्पा कुछ देर चुप रहीं। फिर बोलीं, कभऊँ आदमी खो जाबे के डर सें सोई बाँधत है। ऊको का कहौगे?

डर को पहचानेंगे, उसका उपहास नहीं करेंगे। पर डर होने से निगरानी उचित नहीं हो जाती। हर संदेश का हिसाब, हर मित्र पर संदेह और हर मौन की पूछताछ भरोसा नहीं बढ़ाती। अपनी आशंका कहना और सामने वाले को संदिग्ध बनाकर जीना दो अलग बातें हैं।

गीता प्रिय भक्त के लक्षणों में मैत्री और करुणा के साथ निर्ममता को भी रखती है:-

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च।
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी॥
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥
श्रीमद्भगवद्गीता 12.13-14।

यह ईश्वरभक्त की साधना है। उसकी प्रेरणा हमारे संबंधों में उतरे, तो 'निर्मम' का अर्थ हृदयहीन होना नहीं, 'यह मेरा है' के अधिकारभाव से मुक्त होना समझ आता है। प्रियजन की हर प्रसन्नता का स्रोत हम ही हों, यह आवश्यक नहीं। उसके किसी स्वतंत्र आनंद में हमारी जगह न हो, तब भी उसके आनंद से हमें सुख मिल सकता है।

पर खुली जगह का अर्थ ऐसा बंद हो जाना भी नहीं कि दूसरा अनुमान लगाता रहे। हम कहाँ व्यस्त हैं, किस बात से प्रसन्न या उदास हैं, यह कहा जाए; पूछने का ढंग निगरानी का न हो, बताने का ढंग सफाई देने का न हो। ध्यान की कमी को स्वतंत्रता का नाम देना भी छल है।

तौ कछू बेरा अलग, कछू संगै तय कर लेओ, पुष्पा ने कहा। बात इत्ती कठिन नईंयाँ। अपने मन की साफ कहो, दूसरे की पूरी सुनो।

तुलसी सीता और राम की अभिन्नता को इस उपमान में रखते हैं:-

गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न।
बंदउँ सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न॥
रामचरितमानस, बालकाण्ड, दोहा 18।

वाणी और अर्थ, जल और लहर कहने को अलग हैं, पर अलग नहीं। यह दिव्य युगल की वंदना है, मनुष्यों के व्यक्तित्व मिटाने का विधान नहीं। और ध्यान दें, यह युगल खिन्न जनों को परम प्रिय मानता है। प्रेम भीतर जितना जोड़ता है, बाहर के दुख के लिए उतना ही हृदय खोलता है।

घर के काम का बँटवारा ऐसा हो कि दोनों को अपने लिए समय मिले। और अपने मन की बात कहने में किसी को यह डर न लगे कि इतने भर से साथ छूट जाएगा।

लौटने से पहले मैंने वह पत्ती फिर उठाई और पुष्पा को दिखाई। उन्होंने मुझे लहरों पर उतरता एक पक्षी दिखाया। थोड़ी देर उनके समुद्र में मेरा वन मिला, फिर दोनों अपनी-अपनी दृष्टि में लौट आए।

-अतिथि सम्पादक,
डॉ. दीप नारायण पाण्डेय
(इंडियन फारेस्ट सर्विस से सेवानिवृत्त, वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान सहित अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर)
(यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं।)

परिसीमन पर सरकार अग्नि परीक्षा के लिए फिर से तैयार

30 नवम्बर को लोकसभा की विशेष बैठक से सुनाई दे रही है परिसीमन की आहट!



डॉ. योगेश शर्मा

परिसीमन भले एक संवैधानिक प्रक्रिया और भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि संस्थाओं लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वृद्धि के निर्धारण से जुड़ा हुआ विषय हो, इसके तकनीकी पक्ष और प्रभाव इसे भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण परंतु संवेदनशील मुद्दा बनाते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात फिर से समायोजन की बात करता है और इसका संदर्भ दो प्रमुख बातों से रखा गया। पहला राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन और दूसरा प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। प्रावधान यह भी रखा गया कि प्रत्येक जनगणना पूरी होने के बाद यह समायोजन उस तरीके से और उस प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा जैसा संसद कानून बनाकर निर्धारित करे गी और इसी के लिए संसद परिसीमन आयोग अधिनियम पारित करती है।

चूँकि भारत में जनगणना का संदर्भ प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात होने और उसके पश्चात उसके परिणामों 'आंकड़ों' को आधार बनाने से था इसलिए पहली, दूसरी, तीसरी जनगणना के पश्चात क्रमशः 1952, 1962 और 1972 में परिसीमन आयोग बने और उन्होंने अपनी सिफारिशें भी की जिसके कारण लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की सीटें उसी अनुपात में बढ़ती रही। भारत में राज्यों की भौगोलिक विविधता और जनसंख्या में अंतर के बावजूद यह प्रयास किया गया कि प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि एक निश्चित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा, ले किन जनसंख्या की वृद्धि दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रकार की रही और इसी से सीटों की संख्या में अंतर दिखायी देता है। इसका सीधा सा अर्थ यह निकला कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा उसको लोकसभा में उतनी अधिक सीटें और उसकी विधानसभाओं का आकार भी उतना ही बढ़ा होगा। इससे प्रतिनिधित्व तो अधिक हो जाता लेकिन जनसंख्या वृद्धि भविष्य में संसाधनों का अभाव, जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्याओं को विकराल कर देती, और परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य एवं प्रयास निष्फल हो जाते। साथ ही वे राज्य जो जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन दे रहे थे उन्हें लाभ की बजाय हानि अधिक होने की संभावना थी।

अत: 1976 में 42वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान किया गया कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं को जितना स्थान आवंटित हैं उनका अनुपात वर्ष 2000 तक वही रहेगा अर्थात वर्ष 2000 तक सीटों की संख्या अपरिवर्तित रखी गई। 84वें संविधान संशोधन 2001 से एक बार फिर इस प्रतिनिधित्व को वर्ष 2026 तक के लिए स्थिर या फ्रीज कर दिया गया। हालांकि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन जिसे हम आंतरिक समायोजन कह सकते हैं जिसका सीटों की कुल संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन निर्वाचन क्षेत्र के सीमांकन और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा और विधानसभा में मिलने वाली सीटों के आरक्षण का अनुपात इससे संतुलित हो पाता है उसे 1991 की जनगणना पर आधारित किया गया। 87वें संविधान संशोधन से भी सीटों की कुल संख्या बढ़ाने जैसा प्रयास तो नहीं किया गया लेकिन आंतरिक समायोजन का आधार वर्ष 2001 की जनगणना को किया गया।

इन प्रयासों का परिणाम यह निकला कि हर 10 वर्ष पश्चात जनगणना के बाद होने वाला परिसीमन जो वर्ष 1952, 1962, 1972 तक निरंतर हुआ वह उसके बाद 2002 में हो पाया और उसकी सिफारिशें 2008 से प्रभावी हुई और इसके संबंध में कुछ न्यायिक वाद भी प्रस्तुत हुए।

2023 में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम-नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रस्तुत हुआ जिसने लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में एक तिहाई स्थान महिलाओं के आरक्षित करने का विशय प्रस्तुत किया। हालांकि कानूनी-तकनीकी पेंच इस महत्वपूर्ण मसले पर फंसा हुआ है कि यह महिला आरक्षण नए परिसीमन के बाद ही लागू हो पाएगा। और नए परिसीमन का अर्थ होगा 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आंकड़े जब प्रकाशित होंगे उसके बाद परिसीमन या सीटों की संख्या में बदलाव होगा और तभी महिला आरक्षण के प्रावधान को व्यवहार में अमलीजामा पहनाया जा सकेगा यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2021 में होने वाली जनगणना तत्कालीन कोविड महामारी और उसके बाद के परिदृश्य में विलम्बित हो चुकी है। हालाँकि 2026 में जनगणना का पहला फेज पूरा हो चुका है और 2027 में इसका दूसरा चरण प्रस्तुत होने जा रहा है।

अप्रैल 2026 में वर्तमान सरकार परिसीमन को लेकर 131वां संविधान संशोधन विधेयक और इससे जुड़े दो कानून का मसौदा ऐसे समय में लेकर आई थी जब भारत में कुछ राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल का चुनाव था और लोकसभा सीटों की सख्या 550 से बढ़कर 850 सीटों तक ले जाने तथा महिला आरक्षण के विषय को तुरंत लागू करने जैसे तर्क सरकार के द्वारा दिए गए थे। वहीं विपक्ष का यह तर्क था कि जब 2023 में महिला आरक्षण कानून बन चुका है तो उसके नाम पर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संशोधन लाना संवैधानिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। चूँकि इस प्रकार के संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत अर्थात विशेष बहुमत की जरूरत थी और सरकार यह विशेष बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाई और इसलिए वह संविधान संशोधन बहुमत परीक्षण में गिर गया और उसके परिणामस्वरुप दो अन्य सम्बंधित बिल भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

इस मध्य देश के राजनीतिक परिदृश्य में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पश्चिम बंगाल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। वहीं दक्षिण भारत की परंपरागत दलीय राजनीति में द्रमुक और अन्नाद्रमुक के मध्य एक नए दल को सत्ता प्राप्त हुयी। साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों की परिसीमन को लेकर जो चिंताएं हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर उन्होंने जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं परंतु सीटों की संख्या बढ़ने पर उनकी सीटें उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में कम मात्रा में बढ़ सकेंगी और उनको प्रतिनिधित्व का नुकसान होगा तो उनकी आपत्ति को दूर करने के लिए सरकार के स्तर पर संवाद और मेल-मिलाप की कोशिश भी की गई हैं। इस मध्य कुछ दलों के सांसदों ने भी भाजपा नीति एनडीए से अपना साथ जोड़ा है। ऐसे में सरकार को यह विश्वास उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के लिए अपेक्षित दो-तिहाई बहुमत संसद के दोनों सदनों में जुटा लेंगे। जहां लोकसभा जनता के प्रतिनिधि सदन के रूप में है वहीं राज्यसभा की संरचना में राज्यों की विधानसभाओं से होने वाला निर्वाचन का प्रभाव होता है और अधिकांश राज्यों में इस समय भाजपा या भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए की ही सरकार है।

अगस्त में मानसून सत्र समाप्त होना था उसे समाप्त न करके अर्थात सत्रावसान न करके उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया जो संसदीय प्रक्रिया का भाग है, लेकिन रिकॉर्ड 100 दिन से भी अधिक समय से वही सत्र स्थगित है और अब 30 नवंबर को लोकसभा और 2 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक आयोजित होगी। जिस प्रकार से सरकार कैबिनेट तथा विपक्ष अपने दलों की मीटिंग ले रहे हैं, यह साफ जाहिर होता है कि आगामी बैठकों में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विषयों पर चर्चा या नए बिल प्रस्तुत किये जाएंगे। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि 3 दिसंबर को सदन के कामकाज की बैठकों का समापन करने की भी सरकार आशा प्रकट कर चुकी है क्योंकि दिसंबर का महीना प्रारंभ होने के कारण कुछ ही समय बाद शीतकालीन सत्र भी प्रारंभ हो सकता है।

ऐसे में सरकार के पास निश्चित रूप से विकल्पों की अधिकता है। साथ ही सरकार के लिए अपने बहुमत का परीक्षण करना अगले वर्ष कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के संबंध में उनकी रणनीति का एक पूर्व अभ्यास भी दिखाई देगा। दूसरी तरफ विपक्ष पिछले कुछ महीनों से लगातार संसद के भीतर संसदीय कार्यवाहियों के बहिष्कार से लेकर सड़कों पर किए जाने वाले आंदोलनों से सत्ता पक्ष पर जिस प्रकार से आक्रामक है उसमें यदि विपक्ष एक बार फिर इस संशोधन को पारित होने से रोक लेता है तो ऐसे में सरकार के बहुमत पर विपक्ष का एक प्रभावशाली अंकुश दिखेगा जिससे आने वाले वर्ष में विधानसभा चुनावों के लिए विपक्षी दलों को अपनी एकजुटता प्रस्तुत करने का एक बड़ा अवसर मिल सकेगा।

साधारणतया माना जाता है कि जहां चुनाव व्यक्ति के वोट देने के अधिकार से जुड़ा विषय है और राजनीतिक शिक्षण-प्रशिक्षण देता है, वहीं इस वोट को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में परिवर्तित करने और सांसदों तथा विधायकों की संख्या में वृद्धि करने का संदर्भ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को परिभाषित करने से जुड़ा है और यही परिसीमन का एक मुख्य पक्ष भी है। परिसीमन का विषय इस कारण भी महत्त्व रखता है की भारत में संघवाद को जिस प्रकार से अपनाया गया है और राज्यों का पुनर्गठन जिस प्रकार की भाषायी-सांस्कृतिक विविधता और प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से होता है, ऐसे में जनप्रतिनिधि और मतदाता के मध्य का अनुपात संतुलित रखा जाना संघवाद की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है।

परिसीमन एक संवैधानिक-विधिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र की मजबूती में राजनीतिक दल, प्रतिनिधित्व और मतदाता का एक संतुलित, न्यायसंगत, समावेशी अनुपात बहुत जरूरी है। साथ ही भारत की क्षेत्रीय विविधता, संघवाद, उत्तर बनाम दक्षिण भारत के राज्यों के परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर दृष्टिकोण का अंतर है और परिसीमन के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का बढ़ना और महिला आरक्षण के विषय का तुरंत प्रभाव से लागू होना एक आम मतदाता के जीवन और उनके हितों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए परिसीमन की यह कवायद भारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में अंकित होने जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति का यह ऊंट इस बार किस करवट बैठता है?

-डॉ. योगेश शर्मा,
लेखक संवैधानिक अध्येता और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं।

गरीबी में गिरावट, बदलते भारत की नई आर्थिक तस्वीर



डॉ. सुरेन्द्र सिंह शेखावत

आज दुनिया का बड़ा हिस्सा युद्ध, भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा संकट और बढ़ती महंगाई जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। इन परिस्थितियों का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ आम नागरिकों के जीवन पर भी पड़ रहा है। ऐसे वैश्विक परिदृश्य में भारत की बदलती आर्थिक और सामाजिक तस्वीर विशेष ध्यान आकर्षित करती है। पिछले एक दशक में भारत ने न केवल आर्थिक विकास की गति बनाए रखी है, बल्कि गरीबी कम करने और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति की है।

हाल ही में विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की गरीबी और समानता पर संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत में गरीबी उन्मूलन की दिशा में पिछले 12 वर्षों के दौरान हुई प्रगति की एक महत्वपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करती है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2023-24 के बीच भारत में लगभग 49.6 करोड़ लोग निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इस अवधि में गरीबी की दर 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत रह गई, जबकि अत्यधिक गरीबी की दर 27.1 प्रतिशत से गिरकर 2.6 प्रतिशत पर पहुंच गई। ये आंकड़े केवल गरीबी में आई गिरावट का विवरण नहीं हैं, बल्कि बदलते भारत की आर्थिक और सामाजिक यात्रा को समझने का अवसर भी देते हैं। सवाल यह है कि आखिर किन नीतिगत प्रयासों, आर्थिक बदलावों और सामाजिक हस्तक्षेपों ने इस परिवर्तन को संभव बनाया? क्या यह बदलाव केवल आर्थिक वृद्धि का परिणाम है या इसके पीछे सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और आम नागरिक की बढ़ती आर्थिक भागीदारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है?

विश्व बैंक ने गरीबी में इस उल्लेखनीय कमी के पीछे तीन प्रमुख कारकों की पहचान की है घरेलू उपभोग में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का विस्तार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। पहला महत्वपूर्ण पक्ष है आम परिवारों की उपभोग क्षमता में सुधार। जब किसी परिवार की आय और खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, तो उसका असर केवल बाजार की मांग पर नहीं पड़ता, बल्कि बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और जीवन की बुनियादी सुविधाओं पर भी दिखाई देता है। दूसरा पक्ष रोजगार है। रिपोर्ट के अनुसार, 2017 से 2023 के बीच भारत में लगभग 13.4 करोड़ रोजगार बढ़े। इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में लगभग 20 करोड़ महिलाएं रोजगार में शामिल थीं। यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और परिवारों की आय के नए स्त्रोतों के विस्तार को दर्शाता है। तीसरा कारक सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं तक व्यापक पहुंच है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न, जनधन योजना के जरिए बैंकिंग सेवाओं का विस्तार और उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन जैसे प्रयासों ने गरीब परिवारों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं ने स्वास्थ्य, आवास, पेयजल और स्वच्छता से जुड़ी बुनियादी जरूरतों को संबोधित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने रोजगार, महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण संपर्क को बढ़ावा दिया है।

इन योजनाओं का महत्व केवल सुविधाएं उपलब्ध कराने में नहीं, बल्कि उन खर्चों और जोखिमों को कम करने में भी है, जो किसी गरीब परिवार को दोबारा गरीबी में धकेल सकते हैं। विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2022 तक भारत की 99 प्रतिशत आबादी को बिजली की सुविधा उपलब्ध हो चुकी थी। इस तरह बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी गरीबी घटाने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा बना।

भारत में गरीबी में आई गिरावट का एक महत्वपूर्ण पक्ष ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच दिखाई देने वाला बदलाव है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण गरीबी दर 2011-12 के 64.9 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 19.3 प्रतिशत रह गई, जबकि शहरी गरीबी दर इसी अवधि में 39.7 प्रतिशत से घटकर 8.6 प्रतिशत पर आ गई। यह परिवर्तन बताता है कि विकास का विस्तार केवल महानगरों और बड़े औद्योगिक केंद्रों तक सीमित नहीं रहा। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक होना बताता है कि कृषि उत्पादकता, ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार और स्थानीय उद्यमों के विकास पर अभी और ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत की इस उपलब्धि को वैश्विक संदर्भ में देखना भी जरूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल अमेरिका में भी 2024 में आधिकारिक गरीबी दर 10.6 प्रतिशत थी, जबकि यूरोपीय संघ के देशों में 2022 के दौरान औसतन 16.5 प्रतिशत आबादी सापेक्ष गरीबी के जोखिम में थी। अमेरिका में यह अनुपात 24.7 प्रतिशत, ब्रिटेन में 18.8 प्रतिशत, कनाडा में 18.6 प्रतिशत और ऑस्ट्रेलिया में 20.4 प्रतिशत था। हालांकि, इन देशों में गरीबी का आकलन राष्ट्रीय आय के सापेक्ष किया जाता है, इसलिए इनकी तुलना भारत से सीधे नहीं की जा सकती। दूसरी ओर, भारत में 2011-12 से 2023-24 के बीच लगभग 49.6 करोड़ लोगों का निम्न-मध्यम आय वाले देशों की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से ऊपर आना आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण संकेत है। यह प्रगति भारत की आर्थिक वृद्धि के साथ उपभोग में बढ़ोतरी, रोजगार के अवसरों, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार के संयुक्त प्रभाव को भी दर्शाती है।

विश्व बैंक के ये आंकड़े भारत की आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को रेखांकित करते हैं। करोड़ों लोगों का गरीबी से बाहर आना इस बात का संकेत है कि नीतिगत प्रयासों, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक सुरक्षा के विस्तार से व्यापक स्तर पर बदलाव संभव है। अब इस प्रगति को और आगे बढ़ाते हुए ऐसे अवसरों का निर्माण करना होगा, जिनसे प्रत्येक नागरिक अपनी क्षमता और प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ सके। भारत की विकास यात्रा की वास्तविक सफलता इसी में है कि आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन तथा बेहतर भविष्य का अवसर मिले। गरीबी में कमी ने भारत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं; अब इन संभावनाओं को स्थायी समृद्धि और विकसित भारत के संकल्प में बदलने का समय है।

-डॉ. सुरेन्द्र सिंह शेखावत,
(लेखक राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं।)

राशिफल रविवार 29 नवम्बर, 2026



पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीष मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठि तिथि, रविवार, विक्रम संवत-2083, पुष्य नक्षत्र दिन 11:00 तक, ब्रह्म योग सायं 5:09 तक, गर करण दिन 2:52 तक, चन्द्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति- सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-सिंह, बुध-तुला, गुरू-सिंह, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य सोग सूर्योदय से दिन 11:20 तक है। रवि योग दिन 11:00 से आरम्भ होगा। भद्रा रात्रि 1:47 से आरम्भ होगी। आज छींठ छठ व्रत, रवि पुष्य योग दिन 11:.. तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया- चर 8:19 से 9:38 तक, लाभ अमृत 9:38 से 12:15 तक, चर 12:14 से 1:33 तक, शुभ 1:33 से 2:52 तक।

राहुकाल- 4:30 से 6:00 तक, सूर्योदय 7:01, सूर्यास्त 5:29

मेष

घर-परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

सिंह

पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज मन में असंतोष बना रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

धनु

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

वृष

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज नये-पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। आज घर-परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कन्या

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

मकर